



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 121/2021 निर्णय दिनांक 12.03.2022

शंकरलाल S/O बांकीलाल त्रिवाडी बनाम गोवर्धन जी. रामलाल पण्डित
नियामी कटार विस्तृत विवरण पृष्ठ पर अंकित है।
उपस्थित - वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण उपस्थित श्री. वमोद नि. कटार

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRA मे इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि स्थित है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा
1.	कटार	2075 A 2078	506	जिला 6 मे. 1	1.36	→	1172 0.15			1177 0.14	
2.	कटार										

(2) प्रार्थी/ प्रार्थीगण की आराजियात के सीमा चिन्ह नही होने की वजह से विपक्षीगण के बीच आये दिन विवाद होता रहता है तथा घास काटने और पेड़ों की कटाई छंगायी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

(3) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/ अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/ अप्रार्थीगण के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है / जारी किये जाते है। प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है।

(4) पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी / प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः

क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है -

श्री भू.अ.निरीक्षक दीपक शर्मा को 200 /-रु. की फीस पर कमीशर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जा है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण से मौके पर कमीशर फीस जमा की जाकर इसका अंकन पालना रिपोर्ट मे किया जावें। पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पड़ोसी एवं खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की जाने की लिखित सूचना जरिये पत्र समय एवं तिथि के अंकन के साथ दी जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थी / प्रार्थीगणों की उक्त आराजियात की पत्थरगढी उभय पक्षकारान / मौतवीरान की उपस्थिति में कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये मुश्तकिल बिन्दू को आधार मानते हुये की जावें। निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुली अदालत में सुनाया गया।

अध्यक्ष
राजस्थान विधिक सेवा समिति
आसीन्द जिला श्रीलवाड़ा

सचिव
राजस्थान विधिक सेवा समिति
आसीन्द जिला श्रीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला श्रीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द



क्रमांक / रीडर / 2022/ 207

दिनांक 12/03/2022

प्रतिलिपी तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

प्राथमिक :- 1. शंकरलाल पुत्र बंशीलाल तिवारी जाति - ब्राह्मण
निवासी - कटार तह. आमीर

अप्राथमिक :- 1. गोवर्धन पुत्र रामनाथराज ब्राह्मण निवासी - कटार तह. आमीर

2. धीसू पुत्र दीला रेगार निवासी - कटार - २

3. गोबल पुत्र दीला रेगार निवासी - कटार - २

4. दामोदर पुत्र गोपीलाल तिवारी जाति - ब्राह्मण नि. कटार - २

5. जगदीशचन्द्र पुत्र धीसूलाल तिवारी - २

6. मोहनलाल पुत्र रूपलाल तिवारी - २

7. नोस्तमल पुत्र हगामीलाल गन्ना जाति - महाजन नि. कटार - २

8. दिनेश पुत्र मदनलाल तिवारी जाति - ब्राह्मण नि. कटार - २

9. राजेन्द्र पुत्र बड़ीलाल तिवारी जाति - ब्राह्मण नि. कटार - २


10. महावीर पुत्र बड़ीलाल तिवारी जाति - ब्राह्मण नि. कटार - २


11. सुरेश पुत्र बड़ीलाल तिवारी जाति - ब्राह्मण नि. कटार - २

12. अनिल पुत्र बड़ीलाल तिवारी जाति - ब्राह्मण नि. कटार - २

अध्यक्ष

तालुका विधिक सेवा समिति
आमीर तह. भोलवाड़ा


सचिव
तालुका विधिक सेवा समिति
आमीर तह. भोलवाड़ा


D.O.
आमीर तह. भोलवाड़ा